Computerisation of Super Bazar Branches

5794. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether all the branches of Super Bazar have been fully computerised;

(b) if so, the details thereof;

(c) the amount spent by the Super Bazar Management on this Project;

(d) whether all the branches that have been computerised been linked with the main control room; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) No, Sir.

(b) The following branches have been computeirsed;

(i) Rajendra Place Branch Including R.D.C.

(ii) Safdarjung Hospital Branch.

(c) Under overall computersation scheme, Super Bazar has spent Rs. 21.55 lakhs.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

सुपर बाजार में शेयरों के लेन-देन के संबंध में शिकायतें

5795. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सुपर बाजार के शेयरों और उनके लेन-देन के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

सुपर बाजार के अपमिश्रित और घटिया नमूने

5796. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान सुपर बाजार से कितने नमूने लिये गये थे जो अपमिश्रित, घटिया और नकली ब्रांडों के पाये गये थे;

(ख) तत्संबंधी शाखा-वार ब्यौरा क्या है और उस पर अब तक क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या वस्तुओं की शुद्धता की जांच करने के लिए सुपर बाजार की प्रत्येक शाखा से खाद्य वस्तुओं के प्रतिदिन नमूने लेने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भंडार की तुलना में सुपर बाजार में घटिया और हल्की क्वालिटी की वस्तुएं बेची जाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग द्वारा सुपर बाजार से वर्ष 1993 तथा 1994 में लिए गए तथा अपमिश्रित पाए गए नमूनों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	लिए गए नमूने	अपमिश्रित पाए गए
1993	4	3
1994	4	1

(ख) शाखावार विवरण इस प्रकार है:—

क्र० सं०	वर्ष	शाखा का नाम
1	2	3
1.	1993	शालीमार बाग
2.	1993	शालीमार

1	2	3
3.	1993	सरस्वती विहार
4.	1993	शालीमार बाग
5.	1994	शालीमार बाग
6.	1994	शालीमार बाग
7.	1994	सफदरजंग एन्क्लेव
8.	1994	—वही—

उत्पाद का नाम	खाद्य अपमिश्रण और निवारण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
4	5
1. अंडे, नूडल्स	सुपर बाजार को चेतावनी दी गई।
2. साबुत काली मिर्च	नमूना ठीक पाया गया।
3. सौंफ लखनवी	मामले पर कार्यवाही की जा रही है।
4. चाट मसाला	मामला न्यायालय में है।
5. साबुत काली मिर्च	मामले पर कार्यवाही की जा रही है
6. राई साबुत	नमूना ठीक पाया गया।
7. चाय	नमूना ठीक पाया गया।
8. पीनट कुकीज	नमूना ठीक पाया गया।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग ने सूचित किया है कि सुपर बाजार की प्रत्येक शाखा से रेजना खाद्य वस्तुओं के नमूने लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में सुपर बाजार के खिलाफ दायर किये गये मामले

5797. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सुपर बाजार के खिलाफ दायर किये गये मामलों का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में सुपर बाजार के खिलाफ वर्ष-वार कितने-कितने मामले दायर किये गये थे;

(घ) इस समय सुपर बाजार के खिलाफ कुल कितने मामले लम्बित हैं; और

(ङ) उन लम्बित मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों में सुपर बाजार के विरुद्ध दायर किए गए मामलों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	दायर मामलों की संख्या
1993	शून्य
1994	3
1995 (अब तक)	2

(घ) इस समय तीन मामले अनिर्णीत पड़े हैं।

(ङ) ये मामले न्यायाधीन हैं और उपभोक्ता मंच में सुपर बाजार द्वारा इनके बारे में पैरवी की जा रही है।

विवरण

विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सुपर बाजार के खिलाफ दायर किये गये मामलों का मूल्यांकन संबंधी विवरण

अनिर्णीत मामले

1. **अब्दुल रजिया बनाम सुपर बाजार**

उपर्युकत मामला, सुपर बाजार के विरुद्ध 4.10.94 को दायर किया गया था। इस मामले के तथ्य ये हैं कि एक उपभोक्ता ने सुपर बाजार की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान शाखा से